महिला कल्याण एवं बाल विकास कार्यक्रम – एक अध्ययन

मीनू सिंह*

किसी भी राष्ट्र की समृद्धि के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि अन्य संसाधनों के समान ही उसके मानव संसाधन भी स्वस्थ एवं संपन्न हों। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी का मत था कि स्वस्थ नागरिक व स्वस्थ बच्चे ही किसी वैभव संपन्न व समृद्ध समाज या राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। अतः प्रत्येक राष्ट्र का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसे कार्यक्रमों का संचालन करें जिससे मानव संपदा को प्राकृतिक संपदा के सापेक्ष संतुलित रखा जा सके तथा उन्हें सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक, शैक्षिक, पोषण व आर्थिक आदि स्तरों पर सुरक्षात्मक भावना प्रदान की जा सके। हमारे देश को कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रतिस्थापित करने के वायदे को पूरा करने के लिए सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही देश के सभी नागरिकों विशेष रूप से आर्थिक–सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों और वंचित वर्गों को प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सुरक्षित पेयजल, बिजली और खाद्य सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के संचालन पर ध्यान केन्द्रित किया। परिवार कल्याण एवं बाल विकास कार्यक्रम विशेषतः महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

व्यक्ति को बाल्यावस्था में सबसे अधिक सहायता, संरक्षण एवं देखभाल के साथ–साथ प्रेम, सहानुभूति एवं सुरक्षा की आवश्यकता होती है जिससे उसका संतुलित एवं सर्वांगीण विकास हो सके। किसी भी देश के बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति उस राष्ट्र के वर्तमान एवं भविष्य के स्वास्थ्य की सूचक होती है। अब्राहम लिंकन के अनुसार यह एक बच्चा ही है जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रारम्भ किए गए कार्यों को भविष्य में पूरा करेगा। वह वहाँ पर बैठने जा रहा है जहाँ पर व्यक्ति आज विराजमान है और व्यक्ति के चले जाने पर बच्चा ही उसके द्वारा महत्वपूर्ण समझी जाने वाली क्रियाओं को सम्पन्न करेगा। वह व्यक्ति द्वारा अपनाई गई समस्त नीतियों को लागू करेगा। वह व्यक्ति द्वारा बनाए गए शहरों, प्रदेशों एव राष्ट्रों को नियंत्रित करेगा। वह व्यक्ति द्वारा निर्मित चर्चा, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं आयोगों में भ्रमण करेगा तथा इनका स्वामित्व ग्रहण करेगा। वह व्यक्ति द्वारा रचित पुस्तकों के विषय में निर्णय लेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रशंसा तथा निन्दा करेगा। इस प्रकार मानवता का भाग्य बच्चों के हाथों में है। बच्चों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हमें इस विश्व में वास्तविक शान्ति की स्थापना करनी है एवं युद्ध के विरुद्ध वास्तविक लड़ाई छेड़नी है तो हमें बच्चों से प्रारम्भ करना पड़ेगा, एवं यदि उनका विकास उनकी प्रकृति के अनुसार होगा तो हमें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा. हमें अर्थहीन आदर्श प्रस्ताव नहीं पारित करने पड़ेंगे. और हम प्रेम से प्रेम एवं शान्ति से शान्ति के मार्ग की ओर अग्रसर होंगे।

इस प्रकार स्पष्ट है कि बच्चे राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं तथा इनके विकास में राष्ट्र का विकास निर्मित है क्योंकि विकास की प्रक्रिया में मानव विकास न केवल विकास का साधन मात्र है बल्कि वह इसका लक्ष्य भी है। इसका कारण यह है कि विकास की प्रक्रिया को तब तक गतिशील नहीं किया जा सकता जब तक मानव शरीर अधिक से अधिक रचनात्मक एवं उत्पादक न हो। इसीलिए राष्ट्रीय विकास में अन्तिम रूप से मानव का महत्व होता है और यदि मानव का महत्व है तो उसका महत्व एक बच्चे के रूप में अधिक है, न कि मानव के रूप में।

भारतवर्ष में भी बच्चों की महत्ता को समझा गया तथा राष्ट्रीय बाल नीति 1974 और अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष, 1979 में बनाई गई राष्ट्रीय कार्य योजना में बच्चों को राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण निधि माना गया। राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुसार, "राष्ट्र के बच्चे उसकी सबसे महत्वपूर्ण निधि (Asset) होते हैं तथा राष्ट्र का भविष्य उनके विकास पर निर्भर करता है। बच्चों के सन्दर्भ में विनियोजन (Investment) वास्तव में राष्ट्र के भविष्य में विनियोजन है। आज का स्वस्थ एवं शिक्षित बच्चा कल का क्रियाशील एवं बुद्धिमान नागरिक है।"

इस प्रकार सम्पूर्ण समुदाय का कल्याण बच्चों के स्वास्थ्य एवं विकास पर निर्भर करता है, तथा बाल विकास एवं राष्ट्र के बहुमुखी विकास में जटिल अंतः संबंध है। समाज कल्याण एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण से सम्बन्धित अध्ययन दल (1959 : 115) के अनुसार, "बाल विकास सेवाओं की महत्ता इस विचार में निहित है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसके प्रारम्भिक वर्षों में होता है एवं देश का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अधिकांशतः इस बात पर निर्भर करता है कि इसका निर्माण प्रारम्भिक अवस्थाओं में किस ढंग से किया गया है"।

भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही बच्चों के लिए विकास सेवाओं का प्रावधान रहा है क्योंकि यहाँ पर विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है तथा यह धर्म तब तक पूरा नहीं होता जब तक बच्चे का जन्म न हो। हमारे धर्म ग्रन्थों के अनुसार सन्तान रहित होना किसी न किसी प्रकार के किए गए पाप का प्रतिफल

***शोधार्थी गृह विज्ञान विभाग, बी0 एन0 एम0 यू0, मधेपुरा**

है तथा सन्तान रहित स्त्री (बाँझ) को तो अशुभ तक समझा जाता है। इसके अतिरिक्त इस देश में बच्चों के लालन–पालन में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, परन्तु आधुनिक युग में औद्योगीकरण एवं नगरीकरण ने अनेक प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों को जन्म दिया है जिससे विभिन्न प्रकार के नवीन मूल्यों का जन्म हुआ। वर्तमान समय में माता–पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों के पास बच्चों की उचित देखभाल के लिए न तो पर्याप्त समय है और न ही पर्याप्त साधन। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि बच्चों की देखभाल में लापरवाही की जानी चाहिए। इस देश में भी बच्चों के विकास की दिशा में सरकारी एवं गैर–सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए गए हैं। "राष्ट्रीय बालनीति (1975)" में कहा गया है, "बच्चे राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण सम्पत्ति है। इनका पालन–पोषण एवं विकास हमारा दायित्व है। मानवीय स्रोतों को विकसित करने के लिए बनाई गई हमारी राष्ट्रीय योजनाओं में बच्चों के कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए ताकि हमारे बच्चे समाज द्वारा इच्छित कुशलताओं एवं संप्रेरकों से युक्त, शारीरिक रूप से दुरुस्त. मानसिक रूप से चुस्त तथा नैतिक रूप से स्वस्थ एवं शक्तिशाली नागरिक के रूप में परिवर्तित हो सके।"

सन् 1977 से परिवार के सर्वतोन्मुखी विकास के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रम ही परिवार कल्याण कार्यक्रम कहे जाते हैं जिन्हें हमारे देश में परिवार नियोजन के पर्याय के रूप में जाना जाता रहा है। वास्तव में विश्व परिदृश्य में भारत प्रथम राष्ट्र है जिसने प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) के दौरान ही 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के रूप में जनसंख्या नियंत्रण की पहल की परन्तु पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–75) के दौरान आपातकालीन स्थिति में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा चलाये गये जबरन नसबंदी के दुष्चक्र के फलस्वरूप इस कार्यक्रम द्वारा दम्पतियो को परिवार नियोजित करने की सलाह, सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के प्रावधान को गहरा आघात लगा, जिसमें परिवार नियोजन के प्रावधानों के साथ–साथ प्रजनन आयु वर्ग 15–49 वर्ष की महिलाओं और पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष बल दिया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य जनस्वास्थ्य विशेष तौर पर माँ तथा शिशुओं का स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरणीय स्वास्थ्य आदि है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जनसाधारण को स्वैच्छिक आधार पर नियोजन की प्रक्रियाओं को अपनाने की स्वतंत्रता तथा साथ ही इसे प्रोत्साहित करने हेतु आर्थिक लाभ प्रदान करने का प्रावधान भी शामिल किया गया।

वर्तमान में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व के प्रावधानों के साथ–साथ प्रजनन, स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, यौन जनित रोगों, प्रजनन तंत्र संक्रमण शामिल करते हुए निम्नलिखित लक्ष्य सम्मिलित किए गये हैं :–

- नियोजन एवं सेवाओं में सामुदायिक सहभागिता को प्राथमिकता व प्रोत्साहन देना।
- सेवाओं में उपभोक्ता केन्द्रित व्यवस्था को अपनाना।
- कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- गुणवत्ता बनाये रखने हेतु नागरिकों को उच्चस्तरीय सेवाएँ प्रदान करना।
- सेवाओं को लिंग संवेदनशील बनाना तथा पुरुषों व महिलाओं दोनों के लिए समान स्तर पर सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- प्रजनन, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य के सभी कार्यकलापों का एकीकरण करना।
- परिवार नियोजन संबंधी विभिन्न पक्षों पर जनशिक्षा विशेषकर महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देना।
- बच्चों के पोषण व शिक्षा संबंधी सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

नियोजन प्रक्रियाओं के बावजूद हमारे देश की जनसंख्या जो 1951 में 36.10 करोड़ थी वह 2001 में बढ़कर 102.70 करोड़ हो गयी है तथा आज भी हमारे देश की 23.33 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है। इस बढ़ती हुयी आबादी के अनुपात में संसाधनों का विकास न होने व जागरूकता में कमी के कारण इसका जनसंख्या के स्वास्थ्य विशेषतः महिलाओं और बाल स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसको ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया गया। इस स्थल पर यह इंगित करना परमावश्यक है कि इस शोध में जनगणना–2001 को आधार बनाया गया है क्योंकि सर्वेक्षण करते समय जनगणना 2010 की घोषणा नहीं हुई थी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि बच्चे राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं, तथा इनके विकास में ही राष्ट्रीय विकास निहित है। बच्चे के विकास में परिवार के योगदान का अपना ही महत्व है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1989 में पूर्ण कालिक महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गयी। महिलाओं के कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों में गतिशिलता लाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर महिला कल्याण निदेशालय एवं बाल विकास पुष्टाहार निदेशालय की स्थापना की गई।

महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं, नीतियाँ और कार्यक्रम करता है तथा कई नियम भी लागू करता है। इसके साथ–साथ सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ सामंजस्य भी स्थापित करता है। यह सभी प्रयास यह सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं कि महिलाएं आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से राष्ट्रीय विकास में पुरूषों के बराबर योगदान दें।

बच्चों के विकास के लिए मंत्रालय ने विश्व का सबसे बड़ा और अनोखा कार्यक्रम इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेवलेपमेन्ट सर्विस का प्रारम्भ किया है। जिसमें अतिरिक्त पोषक तत्व, टीकाकरण, स्वास्थ्य देखभाल, पूर्ण विद्यालय शिक्षा शामिल है। मन्त्रालय के अधिकतर कार्यक्रम गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। गैर सरकारी संस्थानों की भागीदारी को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मन्त्रालय द्वारा, नेशनल कमीशन फार वीमेन, राष्ट्रीय महिला कोष, नेशनल न्यूट्रीशन नीति, इंटीग्रेटेड चाइल्ड, नेशनल क्रेश फंड की स्थापना, इन्दिरा महिला योजना, और बालिका समृद्धि योजना, ग्रामीण महिला विकास और सशक्तिकरण परियोजना बड़ी नीतियों के रूप में लागू की गयी है।

संगठन मानव संसाधन विकास मन्त्रालय मानव संसाधन विकास मंत्री की देखरेख में चलता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, और शिक्षा और महिला एवं बाल विकास जैसे कार्यों को देखता है।

योजना के बारे में कभी न कभी सुना अवश्य है, 19 प्रतिशत नहीं जानते एवं सबसे कम 11 प्रतिशत उत्तरदाता ही इस योजना से लाभान्वित हैं। जननी सुरक्षा योजना महिला को सुरक्षित एवं स्वस्थ रखने हेतु है। अत गर्भवती, धात्री एवं अन्य वृद्ध महिलाओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है। जहाँ तक गोसाईगंज ब्लाक के आंकड़े का सवाल है तो जैसा कि चित्र संख्या 1.10 से ज्ञात होता है कि अधिसंख्य (42 प्रतिशत) उत्तरदाता इस योजना के बारे में जानते हैं जबकि 20 प्रतिशत उत्तरदाता योजना के बारे में सुना है, 16 प्रतिशत नहीं जानते सबसे कम 12 प्रतिशत उत्तरदाता ही इस योजना से लाभान्वित हैं।

जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना भी पूर्णतः महिला केन्द्रित है इस योजना का लक्ष्य भी अत्यंत महात्वाकांक्षी है परन्तु प्रस्तुत ब्लाक के गाँव में स्थिति संतोषप्रद किसी भी रूप में नहीं कही जा सकती है। यह ध्यातव्य है कि ब्लाक लखनऊ महानगर से 22 किलोमीटर दूरी पर है। चित्र संख्या 2.1 दर्शाता है कि 42 प्रतिशत उत्तरदाता इस योजना के बारे में जानते हैं जबकि 20 प्रतिशत उत्तरदाता योजना के बारे में सुना है, 16 प्रतिशत नहीं जानते सबसे कम 12 प्रतिशत उत्तरदाता ही इस योजना से लाभान्वित हैं।

वन्देमातरम योजना जैसा कि शब्द वन्देमातरम स्वयं ही उद्घत करता है कि मातृ को नमन करना अर्थात अपनी जननी को हर प्रकार से सहायतार्थ सब प्रकार की मदद पहुंचाना ही इस योजना का मूल उद्देश्य है जबकि शोधार्थी ने जब इस सन्दर्भ में प्रस्तुत ब्लाक के ओकड़े एकत्रित किए तो यह ज्ञात हुआ कि केवल 39 प्रतिशत उत्तरदाता इस योजना के बारे में जानते हैं जबकि 30 प्रतिशत

उत्तरदाता योजना के बारे में केवल सुना है, 24 प्रतिशत उत्तरदाता कुछ भी नहीं जानते जबकि सबसे कम 7 प्रतिशत उत्तरदाता ही इस योजना से लाभान्वित हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. सिंह करतार (2011) – ग्रामीण विकास रावत पब्लिकेशन
2. इंडियन रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया – चैलेंज एंड प्रोसपेक्ट्स – सिरियलस पब्लिकेशन्स, न्यू दिल्ली
3. मुखर्जी आर0 के0 – द डायनामिक्स ऑफ रूरर सोसायटी, बर्लिन, 1951
4. भारतीय सामाजिक संस्थान